न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाड़ा जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भूपेन्द्र पुत्र मेदाराम 2. महेश पुत्र मेदाराम जातियान पुरोहित निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. मृतक खंगाराराम पुत्र तलछा के कायम मुकाम वारीसान 1/1 अशोक पुत्र खंगाराराम 1/2 रमेश कुमार पुत्र खंगाराराम 1/3 बगदी पुत्री खंगाराराम 1/4 भागू पुत्री खंगाराराम 2. गजाराम पुत्र तलछा 3. गीताकुमारी पुत्री देवाराम 4. भमरीकुमारी पुत्री देवाराम 5. मुकेश कुमार पुत्र देवाराम 6. वगताराम पुत्र तलछा 7. विमलाकुमारी पुत्री देवाराम 8. समुदेवी पत्नि देवाराम 9. सोमानराम पुत्र तलछा 10. हितेश कुमार पुत्र देवाराम जातियान कलबी निवासीयान वगतापुरा तहसील रानीवाड़ा 11. करमीराम पुत्र भीखा 12. गमनीदेवी पत्नि भीखा 13. गेमाराम पुत्र भीखा 14. गीता पुत्री भीखा 15. रगा पुत्र गोदा 16. सीता पुत्री भीखाराम जातियान कलबी निवासीयान अमरापुरा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 17. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 17 राजपेरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 15.02.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 685 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 687 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 688 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 689 रकबा 7.99 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.15 हैक्टेयर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी [illegible] रेकर्ड में भूपेन्द्र पुत्र मेदाराम हिस्सा 1/2, महेश पुत्र गोदारा हिस्सा 1/2 जाति पुरोहित सा. जेतपुरा नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजी खसरा नंबर 685, 686, 687, 688, 689 के पड़ौस में उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजी मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

बड़गांव के खसरा नंबर 690 रकबा 0.01हे., खसरा नंबर 691 रकबा 1.39हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 685, 686, 687, 688, 689 के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी आराजी मौजा बड़गांव के खसरा नंबर 684 रकबा 1.33हे. आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 के नाम दर्ज हैं। खातेदार खंगाराराम पुत्र तलछाराम की मृत्यु हो चुकी हैं उनका फौतेदगी म्युटेशन प्रक्रियाधीन हैं। उक्त खंगाराराम के कायम मुकाम को बतौर अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 संयोजित हैं।

2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 685, 686, 687, 688, 689 अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 690, 691 व अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की आराजी खसरा नंबर 684 की सीमा को लेकर विवाद है। उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 16 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद करते रहते हैं। सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 78 दिनांक 16.03.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी बड़गांव दिनांक 22.05.2022 को मौके पर पैमाईश हेतु गये तथा जरीब चला कर सीमांकन किया परन्तु मौके पर सीमांकन बाबत पत्थर स्थापित नहीं किये गये तथा उस समय सीमांकन बाबत अप्रार्थीगण ने मौखिक सहमति जताई परन्तु सहमति बाबत अपने हस्ताक्षर मौका फर्द पर नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर सीमा चिन्ह पत्थर स्थापित करने जाने पर अप्रार्थीगण ने असहमति जताते हुए पत्थर स्थापित नहीं करने दिये तथा मौके पर विवाद जारी रखा। इस प्रकार तहसीलदारजी रानीवाड़ा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं हो सकी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 685 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 687 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 688 रकबा 0.05 हैक्टेयर., खसरा नंबर 689 रकबा 7.99 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.15 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजी मौजा बड़गांव के खसरा नंबर 690 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 691 रकबा 1.39 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी आराजी मौजा बड़गांव के खसरा नंबर 684 रकबा 1.33 हैक्टेयर के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमाचिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 17 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से इनका जवाब बंद किया गया।

4. हमने प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र [illegible]लोकन करने व प्रार्थीगण व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.04.2022 व 24.08.2023 को तहसीलदार से सीमांकन करवाने पर मौजा बड़गांव के खसरा नम्बर 685, 686, 687, 688, 689, 684 व 691 की आराजी के माठों सीमाकंन करवाने पर खातेदार असंतुष्ट रहे व विवाद होने से सीमाकंन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 24.08.2023 में भी सीमाविवाद होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा बड़गांव के खसरा नम्बर 685, 686, 687, 688, 689 व 684, 691 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा बड़गांव के खसरा 685, 686, 687, 688, 689 जूमले रकबा 8.15 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 684, 691 रकबा क्रमश 1.33, 1.39 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested